न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 09/2016
दायरा तिथि : 05.02.2016
निर्णय तिथि : प्राथमिक डिक्री 18.12.2017 फाईनल डिक्री : 17.04.2018

वादीगण :–

1. खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी
2. ईमरान खा पुत्र उस्मानखांजी
3. रहिशा बानु पुत्री उस्मानखांजी
4. सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी
   जातिगण मुसलमान, निवासीगण बेडा हाल निवासी
   अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. लतीफखां पुत्र हाजी जाति मुसलमान
2. अहमदखां पुत्र हाजी जाति मुसलमान
3. मेमुनाबानो पुत्री हाजी जाति मुसलमान
   निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश दवे — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. तहसीलदार, बाली — पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : **निर्णय** : : दिनांक : 17.04.2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के संयुक्त सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि सरहद मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 1.46 हैक्टर वार्षिक लगान 07.30 रूपये के संबध में अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू0–01 वादीनी खैरूनिशा के बयान कलमबद्ध कराये गये।

वादीगण के वादपत्र में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के सम्मन दिनांक 7.04.2016 की नियत पेशी के बाद तामील प्राप्त हुये। तथा प्रतिवादी संख्या–03 का सम्मन अदम तामील प्राप्त होने से पुनः सम्मन फालना निवास के पते पर जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या–03 को जारी सम्मन भी दिनांक 28.11.2017 की नियत पेशी का बाद तामील प्राप्त हुआ। प्रतिवादीगण संख्या–01 व 02 सम्मन तामील के बावजुद नियत पेशी 07.04.2016 तथा उसके पश्चात् की नियत पेशीयो पर उपस्थित नहीं रहने से दिनांक 28.11.2017 को प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–03 भी दिनांक 28.11.2017 को नियत पेशी पर बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन उपस्थित

पेज लगातार......2

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 09/2016 अनवान खैरूनिशा वगैरा बनाम लतिफ खॉं वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नहीं होने से प्रतिवादी संख्या–03 के विरूद्व भी न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–04 तहसीलदार, बाली उक्त विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जबाव पेश नहीं करना चाहा। जिससे दिनांक 28.11.2017 को प्रतिवादी संख्या–04 पेरोकार सरकार का भी जबाव अवसर बन्द करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की एक पक्षीय शहादत के लिये रखा गया। वादी पक्ष की और से दिनांक 29.11.2017 को गवाह वादीनी खैरूनिशाा के बयान बतौर पी.डब्लू.–01 दर्ज कराये गये। तथा इसके अतिरिक्त कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से दिनांक 29.11.2017 को वादी पक्ष की साक्ष्य बन्द करते हुये प्रकरण मे वकील वादी व पेराकार सरकार की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में वर्णित भूमि सरहद मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 1.46 हैक्टर वार्षिक लगान 07.30 रूपये के संबध में अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:–

I <u>लतीफ खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा</u>

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
लतीफ खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/1	0.3650	बा.दो.	1.83	लाल

II <u>अहमद खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा</u>

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
अहमद खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269/1 1271	0.1950 0.1700	बा.दो. बा.दो.	0.98 0.85	हरा

III <u>मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा</u>

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269	0.3650	बा.दो.	1.83	भूरा

IV <u>खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी वगैरा का हिस्सा</u>

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी ईमरान खां पुत्र उस्मानखांजी रहिशा बानु, सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/2	0.3650	बा.दो.	1.82	आसमानी

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबध में वकील वादी श्री ओमप्रकाश दवे की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस मे तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति जताते हुये इसी अनुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी बाली

पेज लगातार.....3

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 09/2016 अनवान खैरूनिशा वगैरा बनाम लतिफ खॉ वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात सरहद मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 1.46 हैक्टर वार्षिक लगान 07.30 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

I **लतीफ खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा**

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
लतीफ खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/1	0.3650	बा.दो.	1.83	लाल

II **अहमद खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा**

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
अहमद खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269/1 1271	0.1950 0.1700	बा.दो. बा.दो.	0.98 0.85	हरा

III **मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा**

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269	0.3650	बा.दो.	1.83	भूरा

IV **खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी वगैरा का हिस्सा**

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी ईमरान खां पुत्र उस्मानखांजी रहिशा बानु, सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/2	0.3650	बा.दो.	1.82	आसमानी

वादीगण के हिस्से बंट की भूमि मे प्रतिवादी दखलन्दाजी नही करे इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 07.30 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
आई.ए.एस

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17-4-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
बाली

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **श्री गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)**

वादीगण :–

1. खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी
2. ईमरान खा पुत्र उस्मानखांजी
3. रहिशा बानु पुत्री उस्मानखांजी
4. सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी
   जातिगण मुसलमान, निवासीगण बेडा हाल निवासी
   अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. लतीफखां पुत्र हाजी जाति मुसलमान
2. अहमदखां पुत्र हाजी जाति मुसलमान
3. मेमुनाबानो पुत्री हाजी जाति मुसलमान
   निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व प्रकरण संख्याः 09/2016

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष वकील वादीगण व पेरोकार सरकार सरहद मौजा मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1269 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 2271 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 1.46 हैक्टर वार्षिक लगान 07.30 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

I **लतीफ खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा**

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान (रूपये मे)	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
लतीफ खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/1	0.3650	बा.दो.	1.83	लाल

II **अहमद खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा**

अहमद खां पुत्र हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269/1 1271	0.1950 0.1700	बा.दो. बा.दो.	0.98 0.85	हरा

III **मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान का हिस्सा**

मेमुनाबानो पुत्री हाजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1269	0.3650	बा.दो.	1.83	भूरा

IV **खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी वगैरा का हिस्सा**

खैरूनिशा पत्नि उस्मानखांजी ईमरान खां पुत्र उस्मानखांजी रहिशा बानु, सलमाबानु पुत्री उस्मानखांजी कौम मुसलमान सा. बेडा खातेदार	1271/2	0.3650	बा.दो.	1.82	आसमानी

वादीगण के हिस्से बंट की भूमि मे प्रतिवादी दखलन्दाजी नही करे इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 07.30 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17-4-2017 को जारी किया गया।

मोहर (न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner